

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस.

कदमा संख्या - 34/19 प्रा०पत्र

श्री बकरू लो श्री अब्दुलरहमान स्याह फरीर गुरालगाम निवासी गाँवल तहसील

- प्रार्थी

बनाम

1- श्री अनामस्युक्त लो श्री अब्दुलरहमान स्याह फरीर गुरालगाम निवासी - राजजीगडी
माण्डल तहसील - गाँवल [राजरा] (सहसंबित प्रा०पत्र संलग्न)

- विपक्षी गण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 28.5.19

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाँवल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 5535/3, 5546/3, 5552/1 कुल कितना 0.3 रकबा 1.5 बीघा 1.5 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी गण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.2.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे का होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का हेरा-फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गाँवल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 5535/3, 5546/3, 5542/1 कुल कितना 0.3 रकबा 1.5 बीघा 1.5 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 300/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी गण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारानु की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फायल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी श्री
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी श्री
माण्डल जिला भीलवाड़ा